संख्या-93/2020/2792/सैंतीस-2-2020-1(25)/10

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(अंकित विवरणानुसार),
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-04 दिसम्बर, 2020

विषयः- **आर.आई.डी.एफ.-25 में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित 72 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-170/सा0-1/एक्स-120(188)/आर.आई.डी.एफ.-25/2019-20, दिनांक-24.08.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आर.आई.डी.एफ.-25 में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित 72 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु कुल रू0-1446.12 लाख (रूपये चौदह करोड़ छियालिस लाख बारह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0	जनपद	पशुचिकित्सालय का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	अलीगढ़	गभाना	20.085
2	अलीगढ़	हरदोई	20.085
3	अमेठी	अमेठी	20.085
4	अमेठी	भेटुवा	20.085
5	अमेठी	जामो	20.085
6	अमेठी	संग्रामपुर	20.085
7	औरैया	भाग्यनगर	20.085
8	अयोध्या	अयोध्या	20.085
9	आजमगढ़	तहबरपुर	20.085
10	बागपत	बिनौली	20.085
11	बलिया	चिलकहर	20.085
12	बाराबंकी	बड्डोपुर	20.085
13	बाराबंकी	चौबीसी	20.085
14	बाराबंकी	फतेहगंज	20.085

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15	बाराबंकी	सुबेहा	20.085
16	बाराबंकी	उधौली	20.085
17	बरेली	रामनगर	20.085
18	बस्ती	बहादुरपुर	20.085
19	बस्ती	कप्तानगंज	20.085
20	बस्ती	कुदरहा	20.085
21	बहराईच	गायघाट	20.085
22	बहराईच	कलॉम सतरही	20.085
23	बहराईच	कटरा बहादुरगंज	20.085
24	भदोही	दुर्गागंज	20.085
25	एटा	राजा का रामपुर	20.085
26	फिरोजाबाद	कोटला	20.085
27	गौतमबुद्ध नगर	सदर (कासना)	20.085
28	गाजियाबाद	शाहपुर बम्हेटा	20.085
29	गाजीपुर	बहरियाबाद	20.085
30	गोण्डा	वजीरगंज	20.085
31	हापुड़	बैना	20.085
32	हापुड़	गढ़मुक्तेश्वर	20.085
33	हापुड़	हापुड़	20.085
34	हरदोई	भरावन	20.085
35	हरदोई	हरियावां	20.085
36	हरदोई	साण्डी	20.085
37	जौनपुर	घनश्यामपुर	20.085
38	कन्नौज	उमर्दा	20.085
39	कौशाम्बी	चायल	20.085
40	कौशाम्बी	कड़ा	20.085
41	कौशाम्बी	पश्चिम शरीरा	20.085
42	कुशीनगर	तरयांसुजान	20.085
43	लखीमपुर खीरी	बिजुवा	20.085
44	लखनऊ	गोसाईगंज	20.085
45	लखनऊ	माल	20.085
46	लखनऊ	निगोहा	20.085
47	लखनऊ	सदर (हैवलक रोड)	20.085
48	मथुरा	माधुरीकुण्ड	20.085
49	मथुरा	सदर	20.085

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

50	मेरठ	बहसुमा	20.085
51	मेरठ	हस्तिनापुर	20.085
52	प्रतापगढ़	आसपुर देवसरा	20.085
53	प्रतापगढ़	सांगीपुर	20.085
54	प्रतापगढ़	शिवगढ़ (भागीपुर)	20.085
55	प्रतापगढ़	सण्डवाचन्द्रिका	20.085
56	प्रयागराज	बारा	20.085
57	प्रयागराज	खीरी	20.085
58	प्रयागराज	शंकरगढ़	20.085
59	रायबरेली	नसीराबाद	20.085
60	रायबरेली	सतॉव	20.085
61	संत कबीर नगर	खलीलाबाद	20.085
62	शाहजहाँपुर	अल्लागंज	20.085
63	शाहजहाँपुर	देवकली	20.085
64	शाहजहाँपुर	जैतीपुर	20.085
65	शाहजहाँपुर	मिर्जापुर	20.085
66	सीतापुर	मछरेहटा	20.085
67	सीतापुर	पहला	20.085
68	सीतापुर	पिसावां	20.085
69	सीतापुर	रामकोट	20.085
70	वाराणसी	चौबेपुर	20.085
71	वाराणसी	जक्खनी	20.085
72	वाराणसी	सदर (मोतीझील)	20.085
योग-			**1446.120**

(रूपये चौदह करोड़ छियालिस लाख बारह हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में क्रय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. स्वीकृत धनराशि का आहरण निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय योजना के दिशा-निर्देशों व निर्माण संबंधी कार्यों हेतु समय-समय पर संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
8. कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
9. नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिये जाने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा। निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग वित्तीय एवं निर्माण संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/यथावश्यकता जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
11. पुनरीक्षित आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।
12. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा।
13. प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसे सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
14. स्वीकृत धनराशि से निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू.डी. शिड्यूल रेट से कराया जायेगा।
15. प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं दिनांक-18.05.2020 तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-966/दस-2020, दिनांक-03.12.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-93/2020/2792(1)/सैंतीस-2-2020- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/कार्यदायी संस्था।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।